22

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 660–दो/2003 – विरूद्व आदेश दिनांक 21–6–2002 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी देवरी, जिला सागर – प्रकरण कमांक 24 अ–56/2001–02 अपील

धरमदास पुत्र रामचरण चढ़ार,निवासी
ग्राम डोभी तहसील देवरी जिलप सागर ----आवेदक

विरूद्व

1– बिनोद पुत्र लीलाधर जाटव

2– गोपी पुत्र अरिराम चढ़ार

दोनों ग्राम डोभी तहसील तहसील देवरी
जिला सागर , मध्य प्रदेश -----अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक)
(अनावेदकगण की ओर से श्री एस0पी0धाकड़ अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1 – 2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी देवरी, जिला सागर के प्रकरण कमांक 24 अ–56/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–02 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कड़ोरी पुत्र हीरालाल जाटव ग्राम खैरी बैरागी 2–1–2001 तक कोटवार के पद पर रहते दिनांक 2–10–01 को मृतक हुआ। ग्राम खेरी बैरागी के कोटवार का पद रिक्त होने पर अनावेदक कमांक–1 ने मृतक कोटवार का निकटतम संबंधी होने के आधार पर नियुक्त किये जाने की मांग की।

आवेदक ने भी नायव तहसीलदार वृत्त महाराजपुर तहसील देवरी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि दिनांक 8–3–69 को कोटवार के व्दारा स्तीफा देने एंव पद रिक्त होने के आधार पर नियुक्ति दी जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 1 अ 56/01–02 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 11–3–2002 से रामचरण पुत्र मुन्ना चढ़ार को ग्राम डोभी का कोटवार नियुक्त किया गया । इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी देवरी के समक्ष अपील कमांक 24/अ–56/ 2001–02 प्रस्तुत की, अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–6–02 से नायव तहसीलदार वृत्त महाराजपुर के आदेश दिनांक 11–3–2002 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि ग्राम पंचायत से विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः विधिसंगत आदेश पारित किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर अनावेदक के अभिभाषक व्दारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये तथा आवेदक के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की।

4/ अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर एंव आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी देवरी ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के परीक्षण पर पाया है कि नायव तहसीलदार ने जिस व्यक्ति को ग्राम डोभी के कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान की है, ग्राम डोभी में कोटवार का पद रिक्त नहीं है और जब ग्राम डोभी में कोटवार का पद नहीं है – नायव तहसीलदार वृत्त महाराजपुर तहसील देवरी व्दारा प्रकरण कमांक 1 अ 56/01–02 में पारित आदेश दिनांक 11–3–2002 शून्यवत् परिधि में है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी देवरी व्दारा प्रकरण कमांक 24 अ–56/ 2001–02 अपील में आदेश दिनांक 21–6–02 पारित करके नायव तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में भूल नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–6–02 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने वास्तविक स्थिति की जॉच

हेतु एंव पक्षकारों को साक्ष्य तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के लिये नायव तहसीलदार की ओर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उभय पक्ष को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है । आवेदक एंव अनावेदक जो तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष पाना चाहते हैं उन्हें वही तथ्य तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी देवरी के प्रकरण कमांक 24 अ–56/ 2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–02 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी देवरी व्दारा प्रकरण कमांक 24 अ–56/ 2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–6–02 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर